आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2025

क्रमांक/ 96 /स्टेनो/2025 नर्मदापुरम, दिनांक :– 01/07/2025

मैं **फिरोज अख्तर**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों, के मध्य उचित रूप से कार्य, वितरण एवं संपादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन आदेश (समस्त मूल एवं संशोधित सहित) को अतिष्ठित करते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा– **12 एवं 13** (द.प्र.सं. की धारा– 14 (1) एवं 15 (2)) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, नर्मदापुरम जिले व तहसील न्यायालयों में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों एवं उनसे संबंधित आनुषांगिक कार्य के निष्पादन के संबंध में स्थानीय सीमाएँ परिनिश्चित करते हुये निम्नानुसार कार्यविभाजन करता हूँ, जो कि दिनांक **02/07/2025** से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

क्र.	**न्यायिक मजिस्ट्रेट**	**क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र**	**कार्य, जो संबंधित न्यायालय की अधिकारिता में है, न्यायालय द्वारा उनके नाम के स्तम्भ कं. 3 में वर्णित क्षेत्र के संबंध में किये जावेंगे।**
01.	**02.**	**03.**	**04.**
01.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम **फिरोज अख्तर**	**1.** संपूर्ण जिला नर्मदापुरम, **आरक्षी केंद्र कोतवाली** नर्मदापुरम, से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। **2.** आबकारी वृत नर्मदापुरम "ए" एवं "बी" से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। **3. आरक्षी केंद्र यातायात** नर्मदापुरम। **4. आरक्षी केंद्र देहात** नर्मदापुरम से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। **5.** नर्मदापुरम वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अपराध के परिवाद पत्र एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** संपूर्ण जिला नर्मदापुरम में चलित न्यायालय कार्य एवं स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), संक्षिप्त विचारण के प्रकरण से संबंधित कार्य एवं विचारण जिसके लिये किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत नहीं किया गया है। **3.** स्तम्भ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं खात्मा तथा **जिला नर्मदापुरम स्थित सभी आरक्षी केंद्रों के खारिजी प्रतिवेदन।** **4.** स्तम्भ क्रमांक 3 में वर्णित आरक्षी केंद्र क्षेत्र से मोटर यान अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधि0, श्रम अधि0, औषधि प्रसाधन अधि0, नगर पालिका अधिनियम, आबकारी अधि0, एन.डी.पी.एस.एक्ट(न्यूनमात्रा), खाद्य सुरक्षा अधि0 एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण

			अधिनियम एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नर्मदापुरम(मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण) के अंतर्गत उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरणों के संज्ञान एवं विचारण। **5.** मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट से संबंधित मामले। **6.** जिला नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रकरण/इस्तगासा, जहां वाहन में ओव्हर लोडिंग से संबंधित है। **7.** संपूर्ण नर्मदापुरम जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित धारा–450 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। **8.** Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण
02.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **सुश्री के. शिवानी**	**1. आरक्षी केंद्र माखन नगर** क्षेत्र से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। **2.** खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित आपराधिक प्रकरण।	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण । **2.** कॉलम नंबर–3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण एवं खात्मा प्रतिवेदन। **3.** नर्मदापुरम वन विभाग परिक्षेत्रों, खनन अपराध एवं भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। **4.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय–समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **5.** कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित थाने, आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली एवं देहात नर्मदापुरम क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों *(महिलाओं के विरूद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों को छोड़कर)* का निराकरण।

			6. अपील न्यायालय से आने वाले समस्त आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण।
03.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल**	**1.** जिला नर्मदापुरम से संबंधित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण। **2.** **चौकी जी.आर.पी.** नर्मदापुरम से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण। **3.** ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण।	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय–समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **3.** जिला नर्मदापुरम से संबंधित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण एवं स्थायी वारंट। **4.** जिला नर्मदापुरम से संबंधित धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के रिक्त न्यायालयों के स्थायी वारंट से संबंधित प्रकरण। **5.** स्तंभ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण(समरी) प्रकरण एवं खात्मा प्रतिवेदन। **6.** आरक्षी केंद्र क्षेत्र देहात व कोतवाली से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र।
04.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **सुश्री मधुबाला सोलंकी**	**1.** **आरक्षी केंद्र डोलरिया** से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। **2.** आबकारी वृत्त डोलरिया क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय–समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **3.** स्तंभ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र एवं अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। **4.** स्तंभ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) एवं

			खात्मा प्रतिवेदन। **5.** महिला आरक्षी केंद्र नर्मदापुरम एवं आरक्षी केंद्र अ0जा0क0 के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन एवं आरक्षी केंद्र जी.आर.पी. एवं आरक्षी केंद्र माखन नगर के क्षेत्र अंतर्गत उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों में धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथनों का लेखबद्ध किया जाना व नर्मदापुरम स्थापना स्थित सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना। **6.** नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों के {लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम संबंधित प्रकरणों को छोड़कर} महिलाओं से संबंधित अपराधों के संबंध में तथा अन्य आरक्षी केंद्र क्षेत्रों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध करना, जिसका क्षेत्राधिकार नर्मदापुरम स्थित, किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं दिया गया है व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना।
05.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल**	**1.** महिला आरक्षी केंद्र नर्मदापुरम एवं मुख्यालय नर्मदापुरम स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65 (1), 66, 65 (2), 67, 68, 70(1), 70 (2), 71, 81, 84, 85, 80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023) एवं घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, धारा 144(3) भा.ना.सु.स. के अंतर्गत समस्त पत्रावली एवं अन्य आपराधिक	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय–समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **3.** कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से (जिसका क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को न दिया गया हो) उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरण। **4.** स्तंभ कमांक 3 में उल्लेखित

		मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा तहसील माखननगर व डोलरिया से उत्पन्न भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–144, 146, 144–3 के समस्त प्रकार के आवेदन।	आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं खात्मा प्रतिवेदन। **5.** आरक्षी केंद्र देहात, कोतवाली तथा डोलरिया क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों तथा अन्य आपराधिक प्रकरणों में धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना। **6.** वर्चुअल कोर्ट के समस्त कार्य एवं प्रकरणों की सुनवाई। **7.** माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के रूप में नर्मदापुरम के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। **8.** कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। **9.** तहसील डोलरिया व माखननगर के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 10 की धारा 144 (द.प्र.स 1973 के अध्याय 9) के अधीन आने वाले भरण पोषण संबंधी प्रकरणों का निराकरण।
06.	प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायालय बोर्ड नर्मदापुरम **श्रीमती रूचि पाण्डेय**	किशोर न्यायालय बोर्ड से संबंधित समस्त प्रकरण संपूर्ण जिला नर्मदापुरम।	**1.** किशोर न्यायालय बोर्ड से संबंधित संपूर्ण जिला नर्मदापुरम के क्षेत्राधिकार के समस्त प्रकरण एवं जांच कार्यवाहियॉं।
		सिविल न्यायालय इटारसी	
07.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**	1. **आरक्षी केंद्र इटारसी,** वन विभाग से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** स्तंभ कमांक 3 में उल्लेखित समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण,

		से संबंधित आपराधिक प्रकरण। **2.** इटारसी क्षेत्राधिकार के आबकारी से उत्पन्न समस्त प्रकरण। **3. आरक्षी केंद्र जी.आर.पी. इटारसी** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।	संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन *(महिलाओं के विरूद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)* का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। **3.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **4.** Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण। **5.** तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम, एन0डी0पी0एस0 (न्यून मात्रा)एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। **6.** तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम एवं महिलाओं के प्रति हुए अपराधों से संबंधित प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 के कथन लेखबद्ध किया जाना।
08.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता**	**1. आरक्षी केंद्र केसला** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। **2. इटारसी तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित** समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65 (1), 66, 65 (2), 67, 68, 70(1),	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के *(धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)* आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण, खात्मा प्रतिवेदन। **3.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य

		70 (2), 71, 81, 84, 85, 80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023), घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–144, 146, 144–3 के समस्त प्रकार के आवेदन।	न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **4.** कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। **5.** माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के रूप में इटारसी तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–144, 146, 144–3 के समस्त आवेदन एवं उनके निष्पादन संबंधी प्रकरण *(धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)* का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। **6.** तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केंद्र के आपराधिक प्रकरणों के धारा–183 भा.ना.सु.स. के कथन लेखबद्ध किया जाना (स्तंभ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र केसला को छोड़कर) व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स.के कथन लेखबद्ध किया जाना।
09.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव**		**1.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे।
10.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल**	**1. आरक्षी केंद्र तवानगर** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। **2.** तहसील इटारसी स्थित	**1.** आरक्षी केंद्र तवानगर, रामपुर गुर्रा व पथरोटा से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण

		समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण। **3. आरक्षी केंद्र रामपुर गुर्रा** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। **4. आरक्षी केंद्र पथरोटा** से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण।	(समरी) प्रकरण, खात्मा प्रतिवेदन *(महिलाओं के विरूद्ध अपराध हेतु गठित विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर)* का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य और तहसील इटारसी स्थित समस्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **3.** तहसील इटारसी स्थित आरक्षी केंद्र केसला के समस्त आपराधिक प्रकरणों के धारा–183 भा.ना.सु.स के कथन लेखबद्ध किया जाना। **4.** तहसील इटारसी के समस्त आरक्षी केंद्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं बेम्यादी वारंटों से उत्पन्न *(अधिसूचित विशेष महिलाओं से संबंधित अपराध को छोड़कर)* प्रकरणों का निराकरण। **5.** अपील न्यायालय से आने वाले आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण।

सिविल न्यायालय–सिवनी मालवा			
11.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा **सुश्री अंजली अग्रवाल**	**1.** आरक्षी केंद्र सिवनीमालवा, आबकारी वृत्त, वन परिक्षेत्र, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। **2.** सिवनी मालवा तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65	**1.** स्तंभ कमांक 3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, निजी परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय (समरी) प्रकरण, खात्मा प्रतिवेदन तथा आरक्षी केंद्र शिवपुर क्षेत्र सें उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम,एन0डी0पी0एस0(न्यूनमात्रा) एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे

		(1), 66, 65 (2), 67, 68, 70(1), 70 (2), 71, 81, 84, 85, 80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023) , घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–144, 146, 144–3 के समस्त प्रकार के आवेदन।	संबंधित कार्य। **2.** माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के रूप में सिवनीमालवा तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–144, 146, 144–3 के समस्त आवेदन एवं उनके निष्पादन संबंधी प्रकरण *(धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)* का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य। **3.** भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। **4.** आरक्षी केंद्र सिवनीमालवा से उत्पन्न एम.जे.सी. व स्थायी वारंट। **5.** आरक्षी केन्द्र शिवपुर से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण (महिलाओं से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) के अधीन प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना। **6.** अपील न्यायालय से आने वाले आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। **7.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **8.** Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण।

12.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनीमालवा **सुश्री सरोज डेहरिया**	1. **आरक्षी केंद्र शिवपुर** से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 2. आरक्षी केंद्र शिवपुर एवं सिवनी मालवा से उत्पन्न धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण।	1. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 3. आरक्षी केंद्र सिवनी मालवा व शिवपुर के महिलाओं के विरूद्ध हुए मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध से संबंधित प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना व आरक्षी केंद्र सिवनी मालवा के अन्य आपराधिक प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना, आरक्षी केन्द्र शिवपुर एवं आरक्षी केन्द्र सिवनी मालवा से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं. प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना। 4. आरक्षी केंद्र शिवपुर से उत्पन्न एम. जे.सी. व स्थायी वारंट।
		<u>सिविल न्यायालय पिपरिया</u>	
13.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक**	1. आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड पिपरिया, आरक्षी केंद्र पचमढ़ी, पचमढ़ी एवं वन परिक्षेत्र पिपरिया से संबंधित प्रकरण, श्रंखला न्यायालय पचमढ़ी एवं छावनी क्षेत्र अधिनियम एवं विशेष प्राधिकरण क्षेत्र पचमढी एवं से संबंधित प्रकरण। 2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं	1. स्तंभ कमांक 3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रो से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण *<u>(महिलाओं से संबंधित अपराधों को छोडकर)</u>* परिवाद, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), खात्मा प्रतिवेदन। 2. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 3. छावनी परिषद पचमढ़ी एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण। 4. भारतीय वन अधिनियम, म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य तथा वन्य प्राणी

		तहसील पिपरिया स्थित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न आपराधिक संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण।	संरक्षण अधिनियम संबंधित प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। **5.** आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड पिपरिया, आरक्षी केंद्र पचमढ़ी, पचमढ़ी एवं वन परिक्षेत्र पिपरिया क्षेत्र में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम,एन0डी0पी0एस0(न्यूनमात्रा) एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। **6.** कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के (महिलाओं से संबंधित अपराध को छोडकर) बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों *(समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न धारा– 138 परकाम्य लिखत अधिनियमों के प्रकरण को छोडकर)* का निराकरण। **7.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **8.** Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण।
14.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक**	**1. आरक्षी केंद्र मंगलवारा पिपरिया** से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। **2.** आबकारी वृत पिपरिया से संबंधित प्रकरण। **3. जी.आर.पी.चौकी पिपरिया** से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। **4.** तहसील पिपरिया स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण।	**1.** आरक्षी केंद्र मंगलवारा पिपरिया, जी.आर.पी चौकी पिपरिया, आबकारी वृत पिपरिया क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी), निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन *(केवल महिलाओं से संबंधित अपराधों एवं विशेष रूप से अधिसूचित न्यायालयों के प्रकरणों को छोडकर)* तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विचारणीय प्रकरणों से संबंधित विविध कार्यवाहियों। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरण का

			विचारण। **3.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **4.** कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के एवं स्थायी वारंटों से उत्पन्न प्रकरणों का निराकरण। **5.** तहसील–पिपरिया स्थित समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण एवं स्थाई वारंट। **6.** तहसील पिपरिया स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम एवं अन्य आपराधिक प्रकरण (स्तंभ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों को छोड़कर) के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किये जाने का कार्य।
15.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला**	1. **आरक्षी केंद्र बनखेड़ी** से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण **2.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र बनखेडी पिपरिया क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण, निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विचारणीय प्रकरणों से संबंधित विविध कार्यवाहियॉ। **3.** आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड़ पिपरिया, आरक्षी केंद्र मंगलवारा पिपरिया एवं आरक्षी केंद्र पचमढी से समस्त आपराधिक प्रकरण एवं तहसील पिपरिया स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित प्रकरणों के धारा–183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना व तहसील पिपरिया के सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं. प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना। **4.** अपील न्यायालय से आने वाले आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त

			प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। **5.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरण का विचारण एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे।
16.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक**	**1.** तहसील–पिपरिया के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65 (1), 66, 65 (2), 67, 68, 70(1), 70 (2), 71, 81, 84, 85, 80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023) , घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–144, 146, 144–3 के समस्त प्रकार के आवेदन।	**1.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरण का विचारण एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **2.** माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के रूप में पिपरिया तहसील के सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–144, 146, 144–3 के समस्त आवेदन एवं उनके निष्पादन संबंधी प्रकरण *(धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)* का विचारण एवं उनसे विविध कार्यवाही एवं संबंधित कार्य।
		सिविल न्यायालय सोहागपुर	
17.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर **श्रीमती संगीता डावर मौर्य**	**1.** **आरक्षी केंद्र–सोहागपुर** एवं आबकारी वृत्त सोहागपुर एवं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। **2.** ग्राम न्यायालय सोहागपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अपराधिक प्रकरण। **3.** तहसील–सोहागपुर के	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण, निजी परिवाद, खात्मा प्रतिवेदन। **3.** माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु

		सभी आरक्षी केंद्र क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरूद्ध घटित समस्त आपराधिक प्रकरण (अंतर्गत धारा 294, 74, 75, 76, 77, 78, 63, 64, 65 (1), 66, 65 (2), 67, 68, 70(1), 70 (2), 71, 81, 84, 85, 80, 79 भारतीय न्याय संहिता, 2023) , घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं अन्य आपराधिक मामले जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–144, 146, 144–3 के समस्त प्रकार के आवेदन।	अधिसूचित महिला विशेष न्यायालय के प्रकरण आरक्षी केंद्र सोहागपुर एवं कालम नं. 3 में वर्णित 22 गांव जो सोहागपुर न्यायालय के अधिकारिता में है से उत्पन्न समस्त प्रकरण। **4.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा पेश भरण पोषण के प्रकरण एवं इसी न्यायालय द्वारा भरण पोषण से संबंधित प्रकरण में पारित आदेशों के निष्पादन के संबंधित प्रकरण। **5.** घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के समस्त प्रकरण एवं पारित आदेश के निष्पादन संबंधी प्रकरण का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। **6.** स्तम्भ कमांक 3 में वर्णित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, श्रम अधिनियम, औषधी प्रसाधन अधिनियम, एन0डी0पी0एस0 (न्यून मात्रा)एक्ट के ऐसे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की विचारण अधिकारिता अंतर्गत के है, से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। **7.** आबकारी वृत सोहागपुर द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकार के प्रकरण। **8.** अपील न्यायालय से आने वाले आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। **9.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरण का विचारण जो समय समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **10.** आरक्षी केंद्र सोहागपुर से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 द.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना।

			11. Lynching and Mob violence से संबंधित प्रकरण
18.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर **श्री तेजदीप सिंह सासन**	**1.** आरक्षी केन्द्र सोहागपुर से उत्पन्न धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण का विचारण। **2.** वन परिक्षेत्र सोहागपुर एवं मड़ई	**1.** पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय–समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। **3.** भा. वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। **4.** आरक्षी केंद्र सोहागपुर से उत्पन्न लैंगिक एवं महिलाओं के प्रति हुए अपराधों एवं अन्य अपराधों से संबंधित प्रकरण के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं. प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना। **5.** आरक्षी केंद्र सोहागपुर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरण, एम.जे.सी. प्रकरण एवं धारा 138 एन.आई.एक्ट के स्थायी वारंट।

आपराधिक कार्य प्रभार सूची – "अ"

प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से कार्य विभाजन पत्रक प्रभावशील दिनॉक ....2025 से जिला मुख्यालय नर्मदापुरम एवं तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थिति/रिक्त न्यायालय रहने की दशा में उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य एवं धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के अंतर्गत लेखबद्ध किये जाने वाले कथन का उनके सम्मुख दर्शाए गए उपस्थित मजिस्ट्रेट द्वारा (धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के अधीन (2) **जहां कथन अभियोक्त्री का है, वहां वह** धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) **की उप–धारा (6–क)** के अंतर्गत महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुरूष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जा सकेगा) अभिलिखित किया जाएगा। घटते अनुक्रम में नामांकित मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रभार देखेंगे–

जिला न्यायालय नर्मदापुरम

कमांक	न्यायालय का नाम	न्यायालय जो आवश्यक कार्य घटते अनुक्रम में उपलब्धता के आधार पर करेंगे
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम **श्री फिरोज अख्तर**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **सुश्री के. शिवानी** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **सुश्री मधुबाला सोलंकी** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल**
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री के. शिवानी**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **सुश्री मधुबाला सोलंकी** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल** 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम **श्री फिरोज अख्तर**
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **सुश्री मधुबाला सोलंकी** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री के. शिवानी** 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम **श्री फिरोज अख्तर**

4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **सुश्री मधुबाला सोलंकी**	1. 2. 3. 4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री के. शिवानी** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम **श्री फिरोज अख्तर**
5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल**	1. 2. 3. 4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री मधुबाला सोलंकी** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री के. शिवानी** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम **श्री फिरोज अख्तर**
	तहसील न्यायालय इटारसी		
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**	1. 2. 3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल**
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता**	1. 2. 3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल**
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव**	1. 2. 3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**
4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल**	1. 2. 3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**

तहसील न्यायालय पिपरिया		
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्रीमती संगीता डावर मौर्य** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्री तेजदीप सिंह सासन**
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्रीमती संगीता डावर मौर्य** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्री तेजदीप सिंह सासन**
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्री तेजदीप सिंह सासन** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्रीमती संगीता डावर मौर्य**
4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक**	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक** 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक** 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्री तेजदीप सिंह सासन** 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्रीमती संगीता डावर मौर्य**

तहसील न्यायालय सोहागपुर			
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्रीमती संगीता डावर मौर्य**	1. 2. 3. 4. 5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्री तेजदीप सिंह सासन** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक**
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्री तेजदीप सिंह सासन**	1. 2. 3. 4. 5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्रीमती संगीता डावर मौर्य** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला**
तहसील न्यायालय सिवनी मालवा			
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा **सुश्री अंजली अग्रवाल**	1. 2. 3. 4. 5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा **श्रीमती सरोज डेहरिया** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा **सुश्री सरोज डेहरिया**	1. 2. 3. 4. 5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा **सुश्री अंजली अग्रवाल** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्रीमती प्राची कौरव** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी **श्रीमती आयुषी गुप्ता** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री यतिन अग्रवाल**

धारा 196 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 176(1) द.प्र.सं.) के अंतर्गत बंदियों की मृत्यु की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया जाता है।

कमांक	न्यायालय स्थान	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह (प्रत्येक माह में उपलब्धता के आधार पर मजिस्ट्रेट परिवर्तित)
1.	जिला मुख्यालय नर्मदापुरम	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री के. शिवानी**	जुलाई 2025 नवंबर 2025 मार्च 2026
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **श्रीमती दिव्या मित्तल**	अगस्त 2025 दिसंबर 2025 अप्रैल 2026
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री मधुबाला सोलंकी**	सितम्बर 2025 जनवरी 2026 मई 2026
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम **सुश्री स्वाति कौशल**	अक्टूबर 2025 फरवरी 2026 जून 2026
2.	तहसील न्यायालय पिपरिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक**	जुलाई 2025 नवंबर 2025 मार्च 2026
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला**	अगस्त 2025 दिसंबर 2025 अप्रैल 2026
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्रीमती दिशा चाण्डक**	सितम्बर 2025 जनवरी 2026 मई 2026
		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया **श्री अखिलेश चाण्डक**	अक्टूबर 2025 फरवरी 2026 जून 2026
3.	तहसील न्यायालय सिवनी मालवा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा **सुश्री अंजली अग्रवाल**	जुलाई 2025 सितंबर 2025 नवंबर 2025 जनवरी 2026 मार्च 2026 मई 2026

		न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा **सुश्री सरोज डेहरिया**	अगस्त 2025 अक्टूबर 2025 दिसंबर 2025 फरवरी 2026 अप्रैल 2026 जून 2026

नोटः— यदि बंदी की मृत्यु दिनांक (रात्रि 12 बजकर 1 सेकेंड बजे तिथि परिवर्तित मानी जावेगी) को मृत्यु समीक्षा के लिए अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर या मुख्यालय के बाहर, प्रशिक्षण, प्रोटोकॉल ड्यूटी आदि पर गये हैं तो बंदी की मृत्यु के कारण की जांच उनके न्यायालयीन प्रभार का कार्य का निष्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा की जावेगी।

फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नर्मदापुरम म.प्र.

<u>**आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2025**</u>

कमांक /   / स्टेनो / 2025   नर्मदापुरम, दिनांक :– 01 / 07 / 2025

मैं **फिरोज अख्तर**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों, के मध्य उचित रूप से कार्य, वितरण एवं संपादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन आदेश (समस्त मूल एवं संशोधित सहित) को अतिष्ठित करते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा– **12 एवं 13** (द.प्र.सं. की धारा– 14 (1) एवं 15 (2)) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, उक्त आदेश के अंत में निम्न पैरा संस्थित करता हूँ, जो कि दिनांक **01 / 07 / 2025** से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

<u>**अनुसूची (ब)**</u>

धारा 52–क सहपठित धारा 76 केन्द्र स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ के अंतर्गत नमूना लिये जाने हेतु प्रभार चार्ज :–

	कॉलम नंबर–1	**कॉलम नंबर–2**	**कॉलम नंबर–3**	**कॉलम नंबर–4**	**कॉलम नंबर–5**	**कॉलम नंबर– 6**	**कॉलम नंबर–7**	**कॉलम नंबर–8**
क.	**थाने का नाम**	**प्रथम प्रभार**	**द्वितीय प्रभार**	**तृतीय प्रभारी**	**चतुर्थ प्रभारी**	**पंचम प्रभारी**	**षष्ठम प्रभारी**	**सप्तम प्रभारी**
1.	1. आरक्षी केंद्र देहात नर्मदापुरम 2. आरक्षी केंद्र कोतवाली नर्मदापुरम 3. आरक्षी केंद्र जी.आर.पी. नर्मदापुरम 4. आरक्षी केंद्र याता यात नर्मदापुरम 5.आबकारी वृत्त 'अ' एवं 'ब' 6. आरक्षी	**सुश्री के. शिवानी** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	**श्रीमती दिव्या मित्तल** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	**सुश्री मधुबाला सोलंकी** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	**सुश्री स्वाति कौशल** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम	....	....	....

	केंद्र डोलरिया 7. आरक्षी केंद्र माखन नगर 8. महिला आरक्षी केंद्र नर्मदापुरम							
2.	1. आरक्षी केंद्र इटारसी 2. आरक्षी केंद्र केसला 3. आरक्षी केंद्र रामपुर गुर्रा 4. आरक्षी केंद्र जी. आर.पी. इटारसी 5. आरक्षी केंद्र तवानगर 6. आरक्षी केंद्र पथरोटा 7. आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त इटारसी	**श्री सूर्यपाल सिंह राठौर** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	**श्रीमती आयुषी गुप्ता** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	**श्रीमती प्राची कौरव** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	**श्री यतिन अग्रवाल** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	----------	----------	----------
3.	1. आरक्षी केंद्र सिवनी मालवा 2. आरक्षी केंद्र शिवपुर	**सुश्री अंजली अग्रवाल** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी	**श्रीमती सरोज डेहरिया** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी	**श्री सूर्यपाल सिंह राठौर** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम	**श्री यतिन अग्रवाल** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	**श्रीमती आयुषी गुप्ता** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	**श्रीमती प्राची कौरव** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी इटारसी	----------

	3. आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त सिवनी मालवा	सिवनी मालवा	सिवनी मालवा	श्रेणी इटारसी				
4.	1. आरक्षी केंद्र स्टेशन रोड पिपरिया 2. आरक्षी केंद्र मंगलवारा पिपरिया 3. आरक्षी केंद्र पचमढ़ी 4. आरक्षी केंद्र जी. आर.पी. पिपरिया 5. आरक्षी केंद्र बनखेड़ी 6. आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त पिपरिया	**श्री अखिलेश चाण्डक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	**श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	**श्रीमती दिशा चाण्डक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	**श्री मनीष कुमार पारिक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया		----------	----------
5.	1. आरक्षी केंद्र सोहागपुर 2. आरक्षी केंद्र आबकारी वृत्त सोहागपुर	**श्रीमती संगीता डावर मौर्य** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहाग पुर	**श्री तेजदीप सिंह सासन** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सोहागपुर	**श्री अखिलेश चाण्डक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	**श्रीमती शालिनी मिश्रा शुक्ला** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	**श्रीमती दिशा चाण्डक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	**श्री मनीष कुमार पारिक** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी पिपरिया	

नोटः—

1. इस सूची के अतिरिक्त अन्य किसी स्थिति में यदि आवेदन प्रस्तुत किया जाता है अथवा किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में यह भ्रम उत्पन्न होता है तो ऐसी मामले उचित आदेश हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जायेंगे।
2. संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थिति की दशा में कमर्शियल एवं इनटरमेडियेट मात्रा का नमूना धारा 52–क सहपठित धारा 76 के अंतर्गत कार्यवाही स्वयं के न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। स्वयं के न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले एन.डी.पी.एस. के प्रकरणों को छोड़कर।

आवश्यक निर्देशः—

01. प्रथमतः कार्यविभाजन पत्रक के अंतर्गत उल्लेखित कॉलम नम्बर 4 के अधिकृत मजिस्ट्रेट धारा—183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध करेंगे। धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लिपिबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में उक्तानुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट आपराधिक कार्य प्रभार सूची "अ" अनुसार धारा—183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध करेंगे, परन्तु ऐसे मजिस्ट्रेट जिनके अधिकार क्षेत्र का मामला होने के आधार पर उन्हें जिन मामलों में विचारण किया जाना है, तो सूची "अ" अनुसार उपलब्ध घटते वरीयता क्रम में अन्य प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किये जायेंगे।

02. आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य पुलिस रिमांड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य धारा—478, 479, 480 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 436 एवं 437 दं.प्र.सं.) के तहत जमानत आवेदन पत्र एवं धारा— 497, 503 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 451, 457 दं.प्र.सं.) के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन पत्र, हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं अतिआवश्यक साक्षी जो अत्यधिक दूरी से उपस्थित हुआ हो तथा उसका पुनः सरलता से उपस्थित होना सम्भव न हो तो उसका परीक्षण करना आदि है। आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करता है, तो जो मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) पावर से सशक्त हैं वह ऐसे संक्षिप्त विचारणीय प्रकरणों (समरी) का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।

03. इस कार्य विभाजन आदेश से किसी भी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।

04. संक्षिप्त विचारण का रिकॉर्ड तैयार करने के लिये भा.ना.सु.स. 2023 की धारा 288 (2) (दं.प्र.सं. की धारा 265(2)) के उपबंधानुसार जिले में पदस्थ प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट के निष्पादन लिपिक को नियुक्त किया जाता है।

05. जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी—अपनी सुविधा के अनसार अपने—अपने दैनिक कार्य को प्रभावित किये बिना, अपने—अपने क्षेत्राधिकार

में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व लिखित सूचना देकर माह में दो बार चलित न्यायालय लगा सकेंगे।

06. उक्त कार्यविभाजन पत्रक अनुसार यदि किसी मामले के विचारण के संबंध में कोई व्यवस्था न हो तो इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नर्मदापुरम से तत्काल संपर्क करेंगे।

07. समस्त ई–चालान का निराकरण आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

08. ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, उन न्यायालय द्वारा जारी किये गये स्थाई वारंट, वर्तमान में उस आरक्षी केन्द्र से संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और वे ही सुनवाई करेंगे एवं उसके अतिरिक्त उपरोक्त रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त वारंट एवं विविध कार्यवाहियां उन मजिस्ट्रेटों के द्वारा संपादित की जायेगी जिनके न्यायालय में वर्तमान में उस न्यायालय से संबंधित प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार इस कार्यविभाजन में दिया गया है।

09. प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश पर रहने के दौरान किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा तथा उनके अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर उपस्थित वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।

10. **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** के अंतर्गत देखरेख और सरंक्षण के जरूरतमंद बालकों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित सभी मामले किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति द्वारा निराकृत किये जायेंगे।

11. इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।

12. नर्मदापुरम नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय की व्यवस्था मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार संपादित की जावेगी।

13. जिला मुख्यालय पर रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

14. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

15. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अथवा माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी एवं मुद्देमाल भी रिकॉर्ड के साथ भेजना सुनिश्चित किया जावे।

16. विचाराधीन बण्डल फाईल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केंद्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जेएमएफसी के न्यायालय में भेजे जावे।

17. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के मेमोरेण्डम क्रमांक–1295/सीजे–11/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

18. प्रकरण को धारा– 364 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 325 दं.प्र.स.) के अंतर्गत

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा संपत्ति भी आवश्यक रूप से भेजी जावे।

19. ग्राम न्यायालयों के न्यायाधिकारी के अवकाश या उपलब्ध नहीं होने की दशा में ग्राम न्यायालय का आवश्यक कार्य आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में दर्शाये गये प्रभार सूची अनुसार प्रभारी न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जावेगा।

अनुमोदनार्थ हेतु सादर प्रेषित।

फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

अनुमोदित।
1.7.14

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

कार्यालय / न्यायालय :– मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नर्मदापुरम (म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी–फिरोज अख्तर

क्रमांक / .... / पृ.क. / 2025 नर्मदापुरम, दिनॉक 01 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:–

01. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एस.सी. / एस.टी. एक्ट / एन.डी.पी.एस. एक्ट नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनीमालवा / पिपरिया / सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. लोक अभियोजक / अतिरिक्त लोक अभियोजक नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनीमालवा / पिपरिया / सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला अभियोजन अधिकारी / ए.पी.पी नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनीमालवा / पिपरिया / सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारी जिला एवं तहसील की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. खाद्य निरीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
09. नापतौल निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. औषधि निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. जिला लोक अभियोजक अधिकारी नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. जिला आबकारी अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. जिला परिवहन अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. अध्यक्ष अभिभाषक संघ नर्मदापुरम / इटारसी / सिवनीमालवा / पिपरिया / सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम

न्यायालय :— फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

क्रमांक /   / स्टेनो / 2025   नर्मदापुरम, दिनांक—01 / 07 / 2025

।। विविध—आदेश ।।

मैं, फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, प्रदत्त प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, ऐसी विधि जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा आवेदन को सत्यापन एवं प्रमाणन करने के प्रावधान वर्णित है, के अंतर्गत नर्मदापुरम एवं तहसील न्यायालय में पदस्थ निम्नानुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को प्रस्तुत आवेदनों का सत्यापन तथा प्रमाणन करने हेतु अधिकृत करता हूं—

क्रमांक	**जिला मुख्यालय नर्मदापुरम / तहसील**	**न्यायिक मजिस्ट्रेट**
1.	नर्मदापुरम	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम **सुश्री के. शिवानी**
2.	इटारसी	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इटारसी **श्री सूर्यपाल सिंह राठौर**
3.	सिवनी मालवा	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी मालवा **सुश्री अंजली अग्रवाल**
4.	पिपरिया	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिपरिया **श्री मनीष कुमार पारिक**
5.	सोहागपुर	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोहागपुर **श्रीमती संगीता डावर मौर्य**

नोट—अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में प्रभारी मजिस्ट्रेट आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2025 के आपराधिक कार्य प्रभार सूची "अ" अनुसार उपलब्ध घटते वरीयता कम में प्रस्तुत आवेदनों का सत्यापन तथा प्रमाणन का कार्य संपादित करेंगे।

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम, म.प्र.

प्रतिलिपिः—

01. सुश्री के. शिवानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम, श्री सूर्यपाल सिंह राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी, सुश्री अंजली अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी मालवा, श्री मनीष कुमार पारिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया, श्रीमती संगीता डावर मौर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित।

02. अभिभाषक संघ, सचिव/अध्यक्ष नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुमोदनार्थ हेतु सादर प्रेषित।

(फिरोज अख्तर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश